I/413436/2023

महत्वपूर्ण/ई-मेल
संख्या-2237/नौ-7-2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2023**

विषयः कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु निर्धारित अनुदान धनराशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 901/9-8-19केपीए (बजट)/2018, दिनांक 25.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पशुधन विभाग द्वारा निर्धारित मानक दर के अनुसार नगरीय निकायों द्वारा संचालित कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के भूसे-चारें आदि हेतु ₹30 प्रति गोवंश प्रतिदिन व्यय किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. अवगत है कि पशुधन विभाग के शासनादेश संख्या-2275/सैंतीस-2-20235(53)/2018, दिनांक 20.09.2023 द्वारा निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उपलब्ध कराई जा रही धनराशि ₹30 प्रति गोवंश प्रतिदिन को बढ़ाकर ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के नगर निकायों द्वारा संचालित कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित एवं बेसहारा गोवंशों के भरण-पोषण हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में एकरूपता लाने के लिए पशुधन विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20.09.2023 द्वारा निर्धारित मानक (₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन) के अनुसार प्रदेश के नगर निकायों को भूसे-चारे आदि की व्यवस्था हेतु धनराशि ₹30 प्रति गोवंश प्रतिदिन को बढ़ाकर ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत धनराशि में उपर्युक्तानुसार वृद्धि दिनांक 15.10.2023 से प्रभावी होगी।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by अमृत अभिजात
Date: 21-10-2023 15:12:14
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उ.प्र.।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये ज़ाने हेतु।

आज्ञा से

Signed by कल्याण बनर्जी
Date: 25-10-2023 13:32:31
Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।